भोपाल | गुरुवार | 15 अक्टूबर 2026 | वर्ष 70 | अंक 263 | पृष्ठ 8+8=16 | मूल्य रु. 5.00 navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत
राष्ट्र हित का प्रहरी १९३४ से

पांचवां दिन: मां स्कंदमाता
ममता, करुणा और संतान सुख की देवी

पुलिस की बर्बरता का होकर रहेगा पूरा हिसाब

हिरासत में पिटाई को लेकर राहुल ने दी मोदी, शाह और ज्ञानेश को चेतावनी

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर. एसआईआर में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग अब कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच सीधे टकराव का मुद्दा बन गई है. बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई में घायल छात्रों और कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को सामने लाकर मोदी सरकार पर हमला बोला.

उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ ज्यादती करने वालों को सजा दिलाई जाएगी, चाहे वे कितने ही बड़े पद पर क्यों न हों. राहुल ने छात्रों से पुलिस कार्रवाई के वीडियो और दूसरे साक्ष्य जुटाकर कांग्रेस को देने को कहा, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जा सके.

राहुल ने प्रदर्शनकारी युवाओं को 'शेर और शेरनियां' बताते हुए कहा कि वे धर्म, जाति और लिंग के भेद से ऊपर उठकर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं.

सीईसी के इस्तीफे की मांग, जंतर-मंतर कूच रोका

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर में गड़बड़ियों के विरोध में बुधवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया. एनएसयूआई, एसएफआई, आइसा और डीवाईएफआई सहित कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बंदोबस्त और बैरिकेडिंग के कारण उन्हें रास्ते में रोक दिया गया.

तिरंगे के साथ प्रदर्शन को समर्थन

राहुल ने दीपके की पोस्ट रिपोस्ट करते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराना अपराध नहीं है और ऐसा करने पर युवाओं को जेल भेजना कायरतापूर्ण कदम है.

पुलिस ने बेरहमी से पीटा

राहुल की मौजूदगी में छात्रों ने हिरासत के दौरान मारपीट और अमानवीय व्यवहार के आरोप लगाए. केरल की छात्रा अथिरा ने दावा किया कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें थप्पड़ मारे, जमीन पर घसीटा और थाने के बेसमेंट में ले जाकर पीटा. राहुल ने कहा कि इस मारपीट से छात्रा के एक कान की सुनने की क्षमता प्रभावित हुई है. एक अन्य छात्रा ने आरोप लगाया कि बस में महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी की मांग करने पर उनके साथ मारपीट की गई.

प्रदेश के विकास की नहीं रुकेगी रफ्तार

सीएम ने उमरिया से लाड़ली बहनों के खातों में डाली 1,834 करोड़ की राशि

नवभारत न्यूज

उमरिया, 14 अक्टूबर. बुधवार को जिले के गुरुवाही ग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त के रूप में 1,834 करोड़ की राशि अंतरित की. इस दौरान उन्होंने 136 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन भी किया. लाड़ली बहनों के महाकुंभ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अनेक घोषणाएं कीं जिसमें अमरपुर को तहसील बनाने और पाली-मानपुर में सिविल अस्पताल बनाने की घोषणा भी शामिल हैं. उन्होंने बिरासनी देवी क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने, सामाजिक संस्थाओं को एक चौथाई कीमत में भूमि देने की भी घोषणा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने 144 करोड़ रुपये के कार्यों का भूमिपूजन भी किया.

भाजपा जो कहती है, वह करती है

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा जो कहती है, वह करती है. वे देश की आधी आबादी को नमन करते हैं. आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं. उन्होंने कहा कि आज कमिश्नर शहडोल और कलेक्टर उमरिया भी बहना हैं.

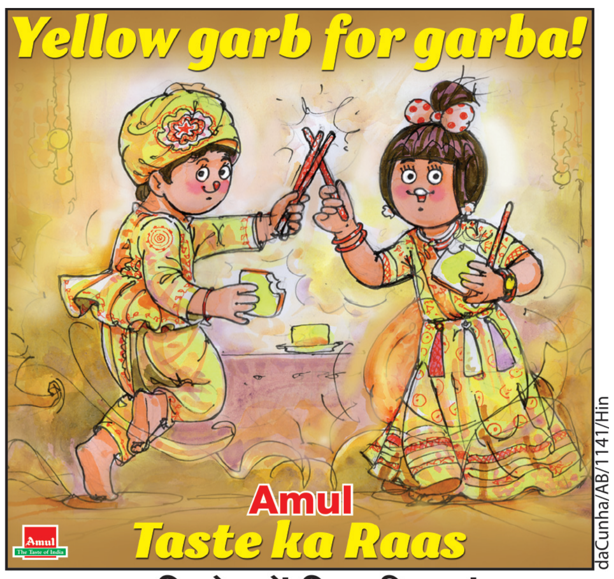

नवरात्रि के 5वें दिन पीला रंग !

अब काशी विश्वनाथ से सोना चोरी

पीएमओ पहुंची शिकायत, एसआईटी जांच शुरू

नवभारत न्यूज नेटवर्क

वाराणसी, 14 अक्टूबर. अयोध्या के राम मंदिर में चोरी के मामलों की जांच के बीच अब वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर से सोना गायब होने की शिकायत सामने आई है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने जांच शुरू कर दी है. वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर मंदिर प्रशासन भी मामले की आंतरिक जांच कर रहा

है. शिकायतकर्ता वकील नित्यानंद राय ने मंदिर के शिखर के विभिन्न हिस्सों से सोना गायब होने का आरोप लगाते हुए इसकी विस्तृत जांच और कार्रवाई की मांग की है. वाराणसी के तेलियाबाग निवासी वकील नित्यानंद राय ने 29 सितंबर को मंडलायुक्त के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर शिकायत की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर के उत्तरी द्वार के ठीक ऊपर दो स्थानों पर लगे स्वर्ण कलश गायब हैं. इसके अलावा शिखर के अन्य हिस्सों पर लगी सोने की परत के कुछ छोटे हिस्सों से भी सोना गायब होने की आशंका जताई गई है. शिकायतकर्ता के मुताबिक, कुछ स्थानों पर सोने की परत ढीली दिखाई दे रही है, जिससे तेज हवा या अन्य गतिविधियों के कारण उसके गिरने का खतरा है.

त्यौहार से पहले ही चीनी फिर हुई कड़वी

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर. दिवाली से पहले चीनी की कीमतों में तेजी आने से बाजार में हलचल बढ़ गई है. त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने और आपूर्ति सीमित रहने के कारण महज छह दिनों में चीनी के थोक भाव 17 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं.

केंद्र सरकार को आशंका है कि दिवाली तक कीमतों में और उछाल आ सकता है. इसे देखते हुए सरकार ने बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कदम उठाए हैं. इसके तहत शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने के साथ जमाखोरी रोकने के प्रयास भी

छह दिन में 17 प्रतिशत तक महंगी

किए जा रहे हैं. त्योहारी सीजन में मिठाइयों, बेकरी उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है. दिवाली के दौरान घरों में मिठाइयां बनाने और बाजार में मिठाई की बिक्री बढ़ने से चीनी की खपत में भी तेजी आती है. इसी बीच आपूर्ति में कमी रहने से कीमतों पर दबाव बढ़ने लगा है. थोक बाजार में छह दिन के भीतर कीमतों में आई तेजी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है.

एक नजर में

एक किलो बीज पर 100 रुपए कमीशन

हैदराबाद. तेलंगाना में नकली कपास बीजों के कारोबार में कथित तौर पर मदद करने के आरोप में पुलिस ने एक सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान सेग्याम वेंकटेश के रूप में हुई है, जो मुलुगु जिले की स्पेशल ब्रांच में तैनात था. नकली बीज कारोबारियों के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद की और बदले में प्रति किलो बीज पर 100 रुपये कमीशन लेने की बात तय हुई थी. पुलिस ने वेंकटेश को 12 अक्टूबर को कागजनगर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया. कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले की जांच जारी है.

जंतर मंतर मामले में सौरभ, रांका को भेजा जेल

नई दिल्ली. कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य सौरभ दास और आशुतोष रांका को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. दोनों को अलग-अलग जेलों में रखा गया है. जानकारी के मुताबिक सौरव दास जेल नंबर 2 में, जबकि आशुतोष रांका जेल नंबर 4 में बंद हैं. दोनों की जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है. स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दोनों ने प्रथम दृष्टया शांति बनाए रखने के बॉन्ड का उल्लंघन किया और पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं किया.

30 करोड़ी निकला आरक्षक

15 ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, आय से अधिक संपत्ति का खुलासा

नव भारत न्यूज

इंदौर, 14 अक्टूबर . पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पदस्थ प्रधान आरक्षक चालक फिरोज खान के 15 ठिकानों पर लोकायुक्त की सर्चिंग में अब तक 33 अचल संपत्तियां सामने आई हैं. इनका बाजार मूल्य 29.73 करोड़ रुपए आंका गया है, जबकि ज्ञात आय से 11.01 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए जाने का खुलासा हुआ है.

लोकायुक्त इंदौर और उज्जैन की टीमों ने बुधवार सुबह 6 बजे देवास स्थित आवास सहित इंदौर और अन्य ठिकानों पर एक साथ तलाशी शुरू की. जांच में फिरोज खान की वेतन से आय करीब 75 लाख रुपए और अन्य स्रोतों को मिलाकर कुल आय 1.93 करोड़ रुपए आंकी गई है. इसके मुकाबले चल-अचल संपत्तियों पर अब तक 12.95 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की जानकारी मिली है. लोकायुक्त के अनुसार, आय और व्यय का अंतर 11 करोड़ 1 लाख 87 हजार 588 रुपए है, जो आय से 568 प्रतिशत अधिक है.

फिरोज खान

जांच में सामने आई संपत्तियां फिरोज खान, उसकी पत्नी, मां, परिचित रोशनी वर्मा, साहिल ट्रेडिंग कंपनी और कुछ बेनामी नामों पर हैं. इनकी खरीद पर 11.57 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य करीब 29.73 करोड़ रुपए है. जांच में रोशनी वर्मा के नाम से आवेदक के पिता की 21.75 बीघा कृषि भूमि का पंजीकृत एग्रीमेंट कराए जाने की जानकारी भी सामने आई है. तलाशी में इंदौर, उज्जैन और देवास के बैंकों में करीब 21 खाते मिले हैं.

दिल्ली के रेस्टोरेंट में आग खिड़की से कूदे लोग

नई दिल्ली. पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में स्थित उद्यम फिश पॉइंट रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. रेस्टोरेंट की रसोई में लगी आग के बाद परिसर में धुआं भरने लगा. इस दौरान जान बचाने के लिए कुछ महिलाएं और पुरुष ऊपरी मंजिल की खिड़की से नीचे कूदते दिखाई दिए. घटना का वीडियो भी सामने आया है. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने या नुकसान होने की सूचना नहीं है. पुलिस के मुताबिक 13 अक्टूबर की रात करीब 10:34 बजे वेलकम थाना क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

ईसी से री-काउंटिंग रिकार्ड गायब

आयोग के जवाब पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर. चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है. कर्नाटक की श्रृंगेरी विधानसभा सीट से जुड़े चुनावी विवाद की सुनवाई के दौरान आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि दोबारा मतगणना (री-काउंटिंग) की मूल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है.

इस पर नाराजगी जताते हुए शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि चुनाव आयोग अपने ही रिकॉर्ड के गायब होने की बात कैसे कह सकता है. कोर्ट ने आयोग को अगली सुनवाई पर सभी उपलब्ध रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव कराना आयोग का प्रमुख दायित्व है और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों तथा रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है.

201 वोटों की जीत के बाद बदला चुनाव परिणाम

यह विवाद कर्नाटक की श्रृंगेरी विधानसभा सीट से जुड़ा है, जहां 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा ने भाजपा के डीएन जीवराजा को 201 वोटों से हराया था. जीवराजा ने चुनाव परिणाम को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए डाक मतपत्रों की गिनती और खारिज मतपत्रों के सत्यापन में अनियमितताओं का आरोप लगाया था. 6 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट ने 279 खारिज डाक मतपत्रों का दोबारा सत्यापन करने और सभी डाक मतपत्रों की पुनर्गणना का निर्देश दिया.

दीपके को आंदोलन के लिए यूएस कर रहा फंडिंग

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर. कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके को अमेरिका से आर्थिक मदद मिलने के आरोपों ने राजनीतिक विवाद को नया मोड़ दे दिया है.

अमेरिकी सिंगर मैरी मिलिबेन ने दावा किया है कि अमेरिका में मौजूद कुछ डोनर्स दीपके और उनकी पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं. मिलिबेन के मुताबिक ये डोनर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में काम करते हैं. हालांकि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में किसी डोनर का नाम या वित्तीय लेनदेन का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है. मैरी मिलिबेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कुछ डोनर्स का ऐसा पैटर्न रहा है, जिसमें वे दूसरे देशों में रूढ़िवादी विचारधारा वाले नेताओं को निशाना बनाते हैं. ऐसे लोग अमेरिका में पढ़ चुके युवाओं की पहचान करते हैं, उन्हें कट्टर बनाते हैं और फिर अपने देश लौटकर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए आर्थिक मदद देते हैं.

अमेरिकी सिंगर का चौकाने वाला खुलासा

नीला ड्रम कांड के दोषियों को फांसी

नृशंस हत्या की है और ऐसे अपराध में माफी स्वीकार नहीं : कोर्ट

मेरठ, 14 अक्टूबर. उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में जिला अदालत ने बुधवार को मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई. दोनों को मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी ठहराया गया था.

जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों ने सौरभ की नृशंस हत्या की है और ऐसे अपराध में माफी स्वीकार नहीं की जा सकती. अदालत के फैसले के बाद मृतक

के परिवार ने राहत जताई, जबकि सजा सुनते ही मुस्कान और साहिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान रोने लगे. सजा सुनाने से पहले अदालत ने दोनों दोषियों से उनकी बात पूछी. मुस्कान ने अपनी छोटी बेटियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनका ध्यान रखा जाए. वहीं, साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया. सौरभ की मां रेनू राजपूत फैसले के बाद भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिला है. सौरभ के भाई ने भी फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि परिवार शुरू से ही दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग कर रहा था.

शव को ड्रम में छिपाया था

अभियोजन पक्ष के अनुसार सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को मेरठ में की गई थी. आरोप था कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें नीले प्लास्टिक के ड्रम में रखा गया और सीमेंट का घोल भरकर छिपाने की कोशिश की गई

घर में ममता पर जानलेवा हमला, महिला गिरफ्तार

कोलकाता, 14 अक्टूबर. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के पास मंगलवार शाम एक महिला के कथित तौर पर चाकू लेकर पहुंचने से हड़कंप मच गया.

आरोप है कि महिला ने ममता बनर्जी की ओर बढ़ने की कोशिश की और मौके पर हंगामा किया. घटना के समय ममता बनर्जी दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने जा रही थीं. हालांकि, इस घटना में उन्हें कोई चोट नहीं आई. पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

घटना शाम करीब छह बजे की बताई जा रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, महिला के पास चाकू होने की बात सामने आने के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए. महिला की गतिविधियों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महिला वहां किस उद्देश्य से पहुंची थी.

200 साल पुराना मंदिर | झाबुआ के दक्षिणी महाकाली मंदिर में विराजित देवी है नगर कोट की रानी

चांदी के प्याले से मदिरापान करती हैं महाकालिका

दिलीप सिंह

झाबुआ, 13 अक्टूबर. आदिवासी बहुल झाबुआ जिला मुख्यालय पर स्थित दक्षिणी महाकालिका माता का मंदिर अपनी अनूठी मान्यताओं और श्रद्धालुओं की गहरी आस्था के लिए प्रसिद्ध है. माता को नगर कोट की रानी भी कहा जाता है.

मान्यता है कि करीब 200 वर्ष पूर्व तत्कालीन राजा उदयसिंह राठौड़ ने नेहरू मार्ग पर नगर के बाहरी क्षेत्र में मंदिर की स्थापना कराई थी. शुरुआत में माता की प्रतिमा इमली के पेड़ के नीचे चबूतरे पर विराजमान थी. समय के साथ भक्तों ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और आज यह

भव्य धार्मिक स्थल बन चुका है.

मंदिर में प्रतिदिन सुबह 5 बजे कांकड़ आरती होती है और माता को हलवे का भोग लगाया जाता है. मंदिर के पुराने सेवक कांतिलाल नानावटी के अनुसार, पहले नवरात्र की अष्टमी पर हवन के साथ पाड़े की बलि दी जाती थी. अब यह प्रथा बंद हो चुकी है और प्रतीकात्मक रूप से भूरे कद्दू की बलि दी जाती है.

मदिरापान की मान्यता है खास

दक्षिणी महाकालिका मंदिर की सबसे चर्चित मान्यता माता को मदिरा अर्पित करने से जुड़ी है. श्रद्धालु नवरात्र के दौरान मदिरा को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं. मान्यता है कि माता चांदी के प्याले से मदिरा का पान करती हैं. भक्तों के बीच यह विश्वास भी प्रचलित है कि अर्पित मदिरा कहां जाती है, इसका पता नहीं चल पाया है. हालांकि, यह धार्मिक आस्था और स्थानीय मान्यताओं से जुड़ा विषय है. मंदिर में माता के तीन स्वरूप विराजमान हैं, जिनमें मुख्य स्वरूप महाकालिका माता का है. चैत्र और अश्विन नवरात्र में विशेष पूजा, हवन और प्रसाद वितरण होता है. अष्टमी पर कन्या भोज आयोजित किया जाता है, जबकि रात में गरबा भी खेला जाता है. श्रद्धालुओं की आस्था के कारण यह मंदिर झाबुआ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है.

संपत्ति कर का 2 फीसदी फायर टैक्स लगेगा

मप्र में फायर सेफ्टी नियम लागू, नए नियमों में किया प्रावधान

- आवासीय भवनों को टैक्स से मिलेगी छूट
- हर वर्ष फायर सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 14 अक्टूबर. लंबे इंतजार के बाद नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने फायर सेफ्टी नियम 2026 लागू कर दिया है. इस संबंध में अधिसूचना जारी होते ही अब नए नियम प्रदेश में लागू हो गए हैं.

नए नियमों में पहली बार संपत्ति कर के कम से कम दो फीसदी तक फायर टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है. ये दर राज्य

सरकार भी तय कर सकती है, लेकिन राहत की बात ये है कि आवासीय संपत्तियों में फायर टैक्स नहीं लगेगा.

नए नियमों के मुताबिक चुनिंदा फायर सेवाओं के लिए बाकायदा शुल्क भी लिया जा सकता है. लेकिन अस्पतालों, स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, मान्यता प्राप्त एनजीओ और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शुल्क से छूट मिल सकती है. नए नियमों के दायरे में आवासीय इमारतों, अस्पतालों, स्कूलों, होटल, रेस्टोरेंट, बाजार, व्यावसायिक परिसरों सहित अस्थायी आयोजनों पर भी लागू होंगे. इसका पालन करना जरुरी होगा. नए नियमों के हिसाब से ऐसे आवासीय भवन जिनकी ऊंचाई 24 मीटर से अधिक होगी या प्रति फ्लोर 750 वर्गमीटर से अधिक का दायरा होगा, उसके लिए पहले फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है.

दोनों ही मामलों में यदि सीमाओं के दायरे में हैं तो फिर प्रमाण पत्र लेने की बाध्यता नहीं होगी. नए प्रावधानों के हिसाब से दुकानों, होटलों, मॉल, कार्यालयों और व्यावसायिक परिसरों में भवन की श्रेणी, ऊंचाई और क्षेत्रफल के हिसाब से फायर सेफ्टी का इंतजाम करना होगा. इसके तहत स्प्रिंकलर, फायर अलार्म, हाईड्रेंट, पापी की उपलब्धता, आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण जरुरी होंगे.